भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1893

16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवा और चिकित्सा मूल्य पर्यटन

1893. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः
श्री कणाद पुरकायस्थः
श्री मिथलेश कुमारः
डा. सुमेर सिंह सोलंकीः
डा. कविता पाटीदार:
श्रीमती किरण चौधरीः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री प्रदीप कुमार वर्माः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री महेंद्र भट्टः
श्री सुजीत कुमारः
श्री दीपक प्रकाशः
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री लहर सिंह सिरोयाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वास्थ्य देखभाल सेवा की वहनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने चिकित्सा मूल्य पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा उद्योग और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भारत की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा और निर्यात कार्यनीति के हिस्से के रूप में चिकित्सा और कल्याण की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, और विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण और आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब

और कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, सस्ते दामों पर सुलभता और पहुँच में सुधार हेतु सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

कुल 1.81 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और परिचालित किए गए हैं, जो निवारक, प्रोत्साहक, उपशामक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इनमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ, संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग, और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषय भी शामिल हैं।

अनिवार्य दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले रोगियों के जेबी खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क नैदानिक सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है और निर्माताओं को अधिसूचित अधिकतम मूल्य (जीएसटी सहित) के भीतर इन दवाओं का विक्रय करना होगा। एनपीपीए नई दवाओं के लिए खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है, जिसका संबंधित निर्माताओं और विपणक को अनुपालन करना होगा। डीपीसीओ, 2013 के अनुसार, गैर-अनुसूचित औषधियों के लिए, निर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित कर सकते हैं, परंतु 12 माह की किसी भी अवधि में इसे 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकते।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आर्थिक रूप से कमज़ोर 40% आबादी वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है। हाल ही में, इस योजना का विस्तार करके 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वय वंदना कार्ड के साथ कवर किया गया है।

देश में स्वास्थ्य परिचर्या की सस्ते दामों पर सुलभता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत की गई विभिन्न अन्य पहलों में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख): सरकार ने सुलभ चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। इस सेक्टर में निजी क्षेत्र के अस्पतालों के साथ-साथ कई मंत्रालयों/विभागों/व्यापार निकायों की पहल शामिल है। यह मंत्रालय विभिन्न

हितधारकों के साथ समन्वय करता है और पर्यटन मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों को इनपुट और सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों की पहचान की जाती है और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों को सूचित किया जाता है।

लागत प्रभावी चिकित्सा यात्रा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विदेशों में भारत के मिशनों और पोस्टों सहित चिकित्सा पर्यटन की ब्रांडिंग और प्रचार, जो डिजिटल अभियान, नेटवर्किंग रिसेप्शन, सेमिनार आदि आयोजित करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्रदर्शित करता है; ई-मेडिकल वीज़ा और ई-आयुष वीज़ा का शुभारंभ; अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के माध्यम से मान्यता और देश में विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना, शामिल है।

(ग): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) भारत में स्वास्थ्य सुधारों के मुख्य आधारों में से एक रही है और एक अभिन्न अंग बनी हुई है, ताकि समावेशी एवं उच्च-गुणवत्ता वाले चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार देश के जिला अस्पतालों के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है। गंभीर किडनी रोग (सीकेडी) के रोगियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी), जो देश के सभी जिला अस्पतालों में सभी बीपीएल लाभार्थियों को नि:शुल्क डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड और इन-हाउस मोड दोनों में संचालित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत, 32,403 सूचीबद्ध अस्पतालों में से 15,378 निजी अस्पतालों को योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किया गया है।

(घ): चिकित्सा और आरोग्य की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थान की एक एकीकृत कार्यनीति, जिससे रोगियों को सिंगल विंडो के अंतर्गत दवाओं की विभिन्न प्रणालियों के लिए विकल्प प्रदान किया जा सके, अपनाई है। 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आयुष सेवाएं 482 डीएच, 3,103 सीएचसी, सीएचसी के अलावा 241 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जो ब्लॉक स्तर पर या उससे उच्च-स्तर परंतु जिला स्तर से नीचे हैं, 6,158 पीएचसी और उप-केंद्र (एससी) से उच्च स्तर परंतु ब्लॉक स्तर से नीचे 3,109 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आवंटित की गई हैं। आयुष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित विभिन्न नए और आगामी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में योग, साइकिलिंग और ध्यान जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। 31 अक्टूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान मेलों सहित योग के साथ कुल 6.37 करोड़ आरोग्य सत्र संचालित किए गए हैं।
